भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA,
सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण / SEEPZ SEZ AUTHORITY,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/ MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेली/Tel: 022-28294774/28294701, फैक्स/Fax: 28291754,
ई-मेल/E-mail : dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/Web-site : www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सं.सीप्ज़-सेज़/ईएमएस/ई-वेस्ट/एचड्ब्ल्यूडी/244/2018-19 / 10165 दिनांकः 31st अगस्त, 2020

सार्वजनिक सूचना सं. 04 दिनांक 31/8/2020

विषयः खरतनाक अपशिष्ट तथा धूलि (डस्ट) के निपटान हेतु एजेन्सियों का नामिकायन ।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27.10.2017 के परिपत्र संख्या 17 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं:-

महाराष्ट्र, गोवा राज्यों तथा दमण, दीव तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सेज़ यूनिट सीप्ज-सेज़ प्राधिकरण के साथ नामिकागत (इम्पैन्ल्ड) एजेन्सियों के माध्यम से खरतनाक अपशिष्ट तथा धूलि का निपटान कर सकते हैं । नामिकागत एजेन्सियों के नाम सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाएंगे जिसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना के लिए वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी । सेज़ यूनिट किसी भी नामिकागत वेंडर को उपर्युक्त वर्णित आइटम देने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा वे अपनी निपटान नीति के निबंधन एवं शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए भी स्वतंत्र होंगे जब तक कि इनसे सेज़ अधिनियम / नियम अथवा सीमाशुल्क अधिनियम / नियम / लागू अन्य किसी विधिक प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो ।

उपर्युक्त अपशिष्टों का निपटान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना आवश्यक है । अतएव, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण के साथ नामिकागत एजेन्सियों को ही ज़ोन से उपर्युक्त अपशिष्टों का निपटान करने की अनुमति दी जाएगी । नामिकायन की इच्छुक एजेन्सियां सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकती है:-

1. संलग्न आवेदन फॉर्मेट के अनुसार एजेन्सी का प्रोफाइल (एजेन्सी को अपने पत्र शीर्ष पर प्रोफॉर्मा में आवेदन करना है)।
2. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाणपत्र संबंधित राज्यों से प्रदूषण बोर्ड प्रमाणपत्र की वैध स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उपर्युक्त कार्यों की प्रकृति का विवरण दिया गया हो ।
3. एमपीसीबी पासबुक / एसपीसीबी पासबुक पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें कार्य की प्रकृति का उल्लेख हो ।
4. जीएसटी पंजीकरण, पैन कार्ड, टिन (TIN) पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां ।
5. तीन वर्षों के टीटीआर प्रोसीडिंग्स के साथ सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित तुलन-पत्र की प्रतिलिपि जिसमें कम से कम 25/- लाख रूपए का टर्नओवर दर्शाया गया है ।
6. 1,000/- रू. वार्षिक पंजीकरण प्रभार तथा 20,000/- रू. प्रतिभूति जमा (प्रतिदेय) का भुगतान करना होगा । तथापि, यूनिटों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे एजेन्सी के आचरण के संबंध में बंधपत्र दें । सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण निधि के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के जरिए उक्त राशि का भुगतान किया जाए ।
7. सीप्ज़ - सेज़ में पंजीकरण की वैधता वार्षिक आधार पर अथवा एमपीसीबी की वैधता इनमें से जो पहले हो, तक रहेगी ।
8. कंपनी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निबंधन एवं शर्तों की प्रति जिसमें यह घोषणा की गई हो कि प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने नोटिस की विषय वस्तु को सावधानीपूर्वक पढ़कर समझ लिया है ।

9. सीप्ज़ स्पीड पोस्ट / कूरियर आदि द्वारा भेजे गए दस्तावेजों के विलंब से प्राप्त होने अथवा उनके खोने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा ।

10. सीप्ज़ को पॉलिसी में दी गई शर्तों, प्रक्रियाओं, अपेक्षाओं, मूल्यांकन विधियों को हटाने, आशोधित करने, संशोधित करने का अधिकार है ।

11. सक्षम प्राधिकारी, सीप्ज़ के पास वेंडर के असंतोषजनक निष्पादन अथवा आवेदन में दी गई गलत सूचना/घोषणा देने अथवा किसी वेंडर के कामकाज अथवा उसके कदाचार के संबंध में सेज़ यूनिटों से शिकायत प्राप्त होने के आधार पर आवेदन रोकने का अधिकार सुरक्षित है ।

12. जिन विक्रेताओं को कभी अस्वीकृत किया गया है/जिनको काली सूची में डाला गया है, वे पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे ।

13. डीजीएफटी से आयात लाइसेन्स रखने वाले पात्र वेंडरों / आयातकों को भी विनिर्दिष्त अपशिष्ट तथा मात्रा के लिए डीटीए में आयात करने की अनुमति दी जाएगी ।

14. आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो अथवा न ही उसके विरूद्ध कोई मामला लंबित हो तथा यदि, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ नामिकागत रहने की अवधि के दौरान यह पाया जाता है, तो सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को विक्रेता के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने तथा नामिका को समाप्त करने/काली सूची में उसका नाम डालने का अधिकार होगा । अतएव, नामिकायन के इच्छुक वेंडरों को आपराधिक रिकॉर्ड न रखने का प्रमाणपत्र विधिवत नोटरीकृत 500/- रू. के गैर न्यायिक स्टैंप पेपर पर प्रस्तुत करना होगा ।

15. एजेन्सी को सीप्ज़ परिसर के अंदर अपने कर्मचारियों को नियोजित करने के पहले उनका पुलिस सत्यापन अवश्य करवाना होगा तथा प्राधिकरण द्वारा जब कभी यह मांगा जाए, उपलब्ध कराना होगा ।

16. आवेदनों के प्राप्त होने पर यह सूची समय - समय पर अद्यतन की जाएगी ।

17. नामिकायन की वैधता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाणपत्र की सहविस्तारी होगी तथा इस संबंध में, कोई अलग पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

18. शपथ पत्र में निम्नानुसार घोषणा की जाएः-

(क) मेसर्स___________को केंद्र सरकार के किसी विभाग/केंद्र सरकार के पीएसयू/महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकायों/बैंकों/प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनियों/ फर्मों द्वारा न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ।

(ख) बोली प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक न तो बोलीदाता और न ही उसके किसी कर्मचारी का आपराधिक/दोषसिद्ध पृष्ठभूमि है ।

(ग) मेसर्स__________सेवाओं के निष्पादन अथवा सेवा के निष्पादन का कार्य न तो किसी को सौंपेंगे, न ही अंतरित करेंगे, न ही गिरवी रखेंगे और न ही उप ठेके पर देंगे तथा आगे यह वचन देते हैं कि निविदा दस्तावेज के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे ।

(रा. हरीश चौधरी)
सविआ/प्रबंधक(संपदा)
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रतिलिपिः-

1. महाराष्ट्र में स्थित सभी सेज़ गोवा, दमण, दीव तथा नगर हवेली
2. विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीप्ज़-सेज़
3. विकास आयुक्त कार्यालय के अधीन सभी यूनिट तथा जनोपयोगी सेवाएं
4. सुरक्षा अधिकारी, सीप्ज़-सेज़
5. अभीक्षक, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण
6. आइटी अनुभाग - उक्त पॉलिसी सीप्ज़ के वेबसाइट www.seepz.gov.in पर अपलोड़ की जाए ।

विक्रेता पंजीकरण हेतु प्रोफाइल फॉर्मेट

प्रतिष्ठान का नामः-

नियोक्ता का नाम व पता तथा पते का प्रमाणः-

हस्ताक्षरकर्ता का नाम तथा पताः-

टेलीफोन नं./मोबाइल नंः-

कारोबार की प्रकृतिः-

फैक्स नंः-

ई-मेल पताः-

पंजीकरण संः-

एमपीसीबी अथवा अन्य कोई राज्य का लाइसेन्स नंः-

एमपीसीबी की वैधता अवधिः-

पैन नंः-

जीएसटी पंजीकरण संः-

जारी करने की तारीखः-

मूल्य वर्धित कर के अधीन टीन (TIN):-

गैर आपराधिक प्रमाणपत्रः-

संबंधित क्षेत्र का अनुभव प्रमाणपत्रः-

प्राधिकृत व्यक्ति का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोः-

कंपनी को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी है कि उसकी एजेन्सी को किसी संगठन द्वारा काली सूची में डाला गया है अथवा नहींः-